

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 जून, 2019-ज्येष्ठ 31, शके 1941

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

इंस्टीट्यूशन ऑफ सेकेण्डरी डिस्टेंस एजुकेशन-आईएसडीई

(माध्यमिक दूर शिक्षा संस्थान)

टिमरनी, दिनांक 20 अप्रैल, 2019

(अधिसूचना)

[मध्यप्रदेश शासन के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त पंजीकृत शिक्षा संस्थान]

कार्यालय आईएसडीई पत्रांक 1893 अधिसूचना 2019 द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि, इंस्टीट्यूशन ऑफ सेकेण्डरी डिस्टेंस एजुकेशन (आईएसडीई) जो कि मध्यप्रदेश राज्य ओपन स्कूल, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल तथा कौंसिल ऑफ दी इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जाम सोसायटी के अनुरूप ही मध्यप्रदेश शासन के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 के अंतर्गत एक उच्च कोटी के रूप में मान्यता प्राप्त पंजीकृत शिक्षा संस्थान है.

इंस्टीट्यूशन ऑफ सेकेण्डरी डिस्टेंस एजुकेशन (आईएसडीई) अपनी नियमावली के अनुसार दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से वर्ष में 2 बार ऑनलाईन शैक्षणिक व व्यवसायिक परीक्षा आयोजित करता है तथा सफल विद्यार्थियों को नियमानुसार अंकतालिका/प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है व संस्थान द्वारा जारी प्रमाण-पत्र अग्रिम उच्च शिक्षा की प्राप्ति हेतु तथा शासकीय रिक्तियों के प्रयोजन के लिये स्वीकार किये जाते हैं.

आईएसडीई को मध्यप्रदेश शिक्षा मण्डल व सामान्य प्रशासन विभाग ने स्थाई समकक्षता प्रदान की है इसी आधार पर नार्वे सरकार की स्वतंत्र बाडी-इंटरनेशनल कौंसिल फार ओपन एण्ड डिस्टेंस एजुकेशन-ओल्सो ने मान्यता प्राप्त संस्थानों की अनुसूची में नाम दर्ज किया है और गुणवत्ता के आधार पर आईएसओ 2009-2015 अभिस्वीकृत किया गया है. आईएसडीई अक्टूबर/नवम्बर परीक्षा के लिये 1 जनवरी से 15 अप्रैल, व अप्रैल/मई परीक्षा के लिये 1 जुलाई से 15 अक्टूबर तक आवेदन स्वीकार किये जाते हैं.

आर. डी. सैनी,
कृते सचिव/डायरेक्टर.

(255-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि शादी के पूर्व मेरा नाम कु. अनीता ग्रेसियस पुत्री श्री ग्रेसियस जकारिया, निवासी भिलाई दुर्ग छ.ग. था. दिनांक 28-11-2012 को विवाह पश्चात् मेरा नाम श्रीमती अनीता नवीन पत्नी श्री नवीन जॉन, निवासी-37, सुन्दर नगर कल्पना नगर के पीछे, रायसेन रोड, भोपाल म.प्र. है. सर्व-साधारण को जायज सूचना के माध्यम से सूचित किया जा रहा है कि वर्तमान व भविष्य में मुझे श्रीमती अनीता नवीन पत्नी श्री नवीन जॉन के नाम से जाना व पहचाना जावेगा.

पुराना नाम :
(कु. अनीता ग्रेसियस)
(KU. ANITA GRACIOS)

(272-बी.)

नया नाम :
(अनीता नवीन)
(ANITA NAVIN)
पत्नी-श्री नवीन जॉन,
निवासी-37, सुन्दर नगर, कल्पना नगर के पीछे,
रायसेन रोड, भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम पूर्व में लक्ष्मी जलज वेपकोम्मा पुत्र श्री शिवकुमार व्ही. व्ही. माता का नाम श्रीमती संगीता व्ही., निवासी-मकान नं. 195, संजीव नगर, नेवरी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल था, जिसे परिवर्तन कर जलज शर्मा पिता श्री व्ही. व्ही. शिवकुमार, माता श्रीमती संगीता व्ही. कर लिया है. ये दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना, पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(लक्ष्मी जलज वेपकोम्मा)

(235-बी.)

नया नाम :
(जलज शर्मा)
पिता- श्री व्ही. व्ही. शिवकुमार,
निवासी-मकान नं. 195, संजीव नगर,
नेवरी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व विदित है कि मैं विनोद शर्मा पुत्र श्री महेशचन्द्र शर्मा, ग्राम व पोस्ट इकलौद, तहसील विजयपुर, जिला श्योपुर मध्यप्रदेश का निवासी हूँ. शपथपत्र द्वारा सूचित करता हूँ कि मेरे पुत्र का नाम जन्म प्रमाण-पत्र में मुकुन्द दर्ज है व जन्मतिथि 15-12-2011 है. कमलाराजा हॉस्पिटल ग्वालियर में पैदा हुआ था. स्कूल के अन्य दस्तावेजों में मेरे पुत्र का नाम मोहित शर्मा है. अतः मेरे पुत्र का नाम अब जन्म प्रमाण-पत्र में मोहित शर्मा किया जाये व अब से उसे मोहित शर्मा के नाम से ही जाना एवं पहचाना जाए.

(241-बी.)

विनोद शर्मा,
पुत्र श्री महेशचन्द्र शर्मा.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, विष्णुस्वरूप खण्डेलवाल पुत्र श्री सूरजमल गुप्ता उम्र 55 वर्ष, निवासी बड़ा ईमामबाड़ा, श्योपुर का निवासी हूँ मैं, शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मेरा नाम विष्णुस्वरूप खण्डेलवाल है इसी नाम से मुझे जाना, पहचाना व पुकारा जाता है. किन्तु मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम त्रुटिवश गोपालकृष्ण खण्डेलवाल एवं गोपाल लेख हो गया है जो गलत है. इसलिए मेरा नाम गोपालकृष्ण खण्डेलवाल एवं गोपाल के स्थान पर विष्णुस्वरूप खण्डेलवाल किया जावे व लिखा जावे व जाना जावे.

पुराना नाम :
(गोपालकृष्ण एवं गोपाल)

(242-बी.)

नया नाम :
(विष्णुस्वरूप खण्डेलवाल)
पुत्र-सूरजमल गुप्ता,
बड़ा ईमामबाड़ा श्योपुर, जिला श्योपुर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा विवाह के पूर्व नाम अश्विनी देवले पुत्री दिवाकर देवले था. विवाह उपरांत मेरा नाम श्रीमती श्रद्धा चालीसगांवकर पत्नी श्री संतोष चालीसगांवकर हो गया है. भविष्य में मुझे व मेरे समस्त शासकीय दस्तावेजों में एवं दैनिक कार्यव्यवहार में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जायेगा.

पुराना नाम :
(अश्विनी देवले)
पुत्री-श्री दिवाकर देवले.

(246-बी.)

नया नाम :
(श्रद्धा चालीसगांवकर)
पत्नी श्री संतोष चालीसगांवकर,
निवासी-हनुमान टेकरी तारागंज पुल के पास,
तारागंज, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, SMT. SEEMA PAMNANI (श्रीमती सीमा पमनानी) शपथ करती हूँ कि शादी से पूर्व मेरा नाम कु. रजनी डेम्बला पुत्री स्व. श्री किशनचन्द वी. डेम्बला था जो कि अब शादी के बाद मेरे अन्य महत्वपूर्ण कागजातों में मेरा नाम श्रीमती सीमा पमनानी अंकित है और भविष्य में इसी नाम से जानी-पहचानी जाती रहूँगी.

पुराना नाम :

(कु. रजनी डेम्बला)

पुत्री-स्व. श्री किशनचन्द वी. डेम्बला.

नया नाम :

(सीमा पमनानी)

(SEEMA PAMNANI)

पत्नी-स्व.श्री रमेश पमनानी,
पता-11, शिवम कॉलोनी, रायसिंह का बाग,
रॉक्सी टॉकीज के सामने, लशकर,
ग्वालियर (म.प्र.) 474001.

(243-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती तानी सोमयानी सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा विवाह पूर्व का नाम गीता बालवानी है जो मेरे सभी शैक्षणिक शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं एल. आई. सी. पौलिसियों, एवं अन्य प्रपत्रों में अंकित है. मेरा विवाह सिन्धी रीति-रिवाज से दिनांक 24-11-2010 को श्री अजय कुमार सोमयानी के साथ हो गया है. विवाह उपरांत मेरा नाम श्रीमती तानी सोमयानी पत्नी श्री अजय कुमार सोमयानी हो गया है. वर्तमान में श्रीमती तानी सोमयानी पत्नी श्री अजय कुमार सोमयानी के नाम से जानी-पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ एवं भविष्य में भी मैं इसी नाम श्रीमती तानी सोमयानी पत्नी श्री अजय कुमार सोमयानी के नाम से जानी-पहचानी एवं पुकारी जाऊँगी तथा हस्ताक्षर करती रहूँगी. अतः मेरे शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं एल. आई. सी. पौलिसियों एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम गीता बालवानी के नाम के स्थान पर श्रीमती तानी सोमयानी पत्नी श्री अजय कुमार सोमयानी लिखा एवं पढ़ा जाये एवं आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :

(गीता बालवानी)

(244-बी.)

नया नाम :

(तानी सोमयानी)

पत्नी-श्री अजय कुमार सोमयानी,
खैबर लाइल संतकंवर राम वार्ड, खैबर लाईन,
कटनी (म.प्र.).

उप-नाम परिवर्तन

मैं, तनवी शर्मा (Tanvi Sharma) पुत्री कमलेश बाबू शर्मा (Kamlesh Babu Sharma), व्यवसाय विद्यार्थी, आयु-28 वर्ष, निवासी बी. एम. 114, दीनदयाल नगर, भिण्ड रोड, ग्वालियर म.प्र. की हूँ मेरे माता-पिता ने बचपन में मेरा नाम तनु सौभरी (Tanu Saubhri) पुत्री कमलेश बाबू शर्मा (Kamlesh Babu Sharma) लेख कराया था, कुछ दस्तावेजों में बचपन का नाम तनु सौभरी (Tanu Saubhri) ही है, परन्तु स्कूल में प्रवेश लेते समय मेरे पिता ने मेरा नाम तनवी शर्मा (Tanvi Sharma) पुत्री कमलेश बाबू शर्मा (Kamlesh Babu Sharma) लेख कराया था, जिन दस्तावेजों में मेरा नाम तनु सौभरी (Tanu Saubhri) पुत्री कमलेश बाबू शर्मा (Kamlesh Babu Sharma) दर्ज है, उसके स्थान पर तनवी शर्मा (Tanvi Sharma) पुत्री कमलेश बाबू शर्मा (Kamlesh Babu Sharma) पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम :

(तनु सौभरी)

(TANU SAUBHRI)

(245-बी.)

नया नाम :

(तनवी शर्मा)

(TANVI SHARMA)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा विवाह पूर्व नाम स्वाती देवस्थले पुत्री अरविन्द देवस्थले था. विवाह उपरांत धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार मेरा नाम श्रीमती स्वाती मुटाटकर पत्नी श्री अमोल चन्द्रशेखर मुटाटकर हो गया है, भविष्य में मुझे व मेरे समस्त शासकीय दस्तावेजों में एवं दैनिक कार्य व्यवहार में मुझे श्रीमती स्वाती मुटाटकर के नाम से ही जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम :

(स्वाती देवस्थले)

पुत्री-श्री अरविन्द देवस्थले,
निवासी-राधा निवास जटार गली,
लक्ष्मीगंज, लशकर, ग्वालियर (म.प्र.).

(247-बी.)

नया नाम :

(स्वाती मुटाटकर)

पत्नी-श्री अमोल चन्द्रशेखर मुटाटकर,
निवासी-103, सनराईज अपार्टमेंट,
जटार गली, लक्ष्मीगंज, लशकर, ग्वालियर.

नाम परिवर्तन

युवराज शाही एवं सरिता शाही ये दोनों नाम एक ही महिला का है, अब भविष्य में युवराज शाही के स्थान पर सरिता शाही पति अर्जुन देव शाही के नाम से जानी-पहचानी जाऊंगी.

पुराना नाम :
(युवराज शाही)

(248-बी.)

नया नाम :

(सरिता शाही)

पति-अर्जुन देव शाही,
बी-8/8, महेश गार्ड लाईन, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, साहिल राजे (SAHIL RAJE) पुत्र श्री सतीश कुमार जाटव (SATISH KUMAR JATAV) सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा बचपन का बोलता नाम जय कुमार जाटव (JAI KUMAR JATAV) था जो मेरे बीमा पॉलिसी क्रमांक 201231448 एवं अन्य प्रपत्रों में अंकित है और वर्तमान में मुझे साहिल राजे (SAHIL RAJE) पुत्र श्री सतीश कुमार जाटव (SATISH KUMAR JATAV) के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता है और साहिल राजे (SAHIL RAJE) के नाम से ही हस्ताक्षर करता हूँ, भूलवश (गलती) से मेरी बीमा पॉलिसी क्रमांक 201231448 एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा बचपन का नाम जय कुमार जाटव (JAI KUMAR JATAV) लिखा गया है. जो कि गलत है. अतः मेरी बीमा पॉलिसी क्रमांक 201231448 एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम जय कुमार जाटव (JAI KUMAR JATAV) के स्थान पर साहिल राजे (SAHIL RAJE) पुत्र श्री सतीश कुमार जाटव का नाम लिखा जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :
(जय कुमार जाटव)
(JAI KUMAR JATAV)

(254-बी.)

नया नाम :

(साहिल राजे)

(SAHIL RAJE)

पता-वार्ड नं. 16, पुराना गाढ़ी अड्डा रोड,
रामगढ़ डबरा, जिला ग्वालियर.

नाम परिवर्तन

यह कि मेरा विवाह के पूर्व नाम ममता आर. बी. (MAMTHA R.B.) है. परन्तु विवाह के बाद मेरा नाम मेरे पति के उपनाम के अनुसार श्रीमती ममता (MAMTA) गजेन्द्र मोहन हो गया है एवं वर्तमान मुझे श्रीमती ममता (MAMTHA) गजेन्द्र मोहन के नाम से ही जाना-पहचाना जाता है तथा समस्त दस्तावेजों में भी मेरा नाम श्रीमती ममता (MAMTA) गजेन्द्र मोहन ही दर्ज होगा.

पुराना नाम :
(ममता आर. बी.)
(MAMTHA)

(256-बी.)

नया नाम :

(ममता)

(MAMTA)

गजेन्द्र मोहन,
पता-143, आशीर्वाद लक्ष्मी, आयरन वर्क्स के पीछे,
बंजारी कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

यह कि मेरे संपूर्ण विद्यालयीन एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम रमेश कुमार अंकित है तथा मेरा उपनाम (सरनेम) कृष्णानी विद्यालयीन दस्तावेजों में दर्ज नहीं हो पाया था. जबकि मेरा पारिवारिक सरनेम कृष्णानी है, मेरे पिता का नाम भी मेरे संपूर्ण दस्तावेजों में मोहन कृष्णानी दर्ज है. इस कारण मैं, अपने नाम के साथ अपने परिवार व वंश का सरनेम उपनाम कृष्णानी करवा लिया इस हेतु मैंने वैधानिक रूप से सभी कार्यवाही कर ली है और शपथ-पत्र निष्पादित कर दिया है. यह कि मैंने अपने वर्तमान नाम रमेश कुमार को परिवर्तित कर उसके स्थान पर रमेश कुमार कृष्णानी रखना चाहता हूँ.

पुराना नाम :
(रमेश कुमार)

(257-बी.)

नया नाम :

(रमेश कुमार कृष्णानी)

पता-107, पी. एच. ई. पंप हाउस के सामने,
वन ट्री हिल्स, बैरागढ़, भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरा नाम नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव आत्मज श्री द्वारका प्रसाद श्रीवास्तव, पता-17-बी, संतोषी बिहार नरेला शंकरा बोनीफाई स्कूल के सामने, भोपाल पिन-462022 है तथा मेरे घर का नाम रमेश प्रसाद है तथा दस्तावेजों में नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव एवं रमेश प्रसाद नाम है दोनों नाम मेरे ही हैं। अब भविष्य में मुझे नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव उर्फ रमेश प्रसाद के नाम से जाना, पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव)
(258-बी.)

नया नाम :

(नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव उर्फ रमेश प्रसाद)

नाम परिवर्तन

मैं, अंकिता परिहार (ANKITA PARIHAR) पुत्री राकेश सिंह परिहार (RAKESH SINGH PARIHAR) सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा बचपन का बोलता नाम कु. निकिता सिंह परिहार (NIKITA SINGH PARIHAR) था. जो मेरे बीमा पॉलिसियों एवं अन्य प्रपत्रों में अंकित है और वर्तमान में मैं, अंकिता परिहार (ANKITA PARIHAR) पुत्री राकेश सिंह परिहार (RAKESH SINGH PARIHAR) के नाम से ही जानी पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ और अंकिता परिहार (ANKITA PARIHAR) के नाम से ही हस्ताक्षर करती हूँ भूलवश (गलती) से मेरी बीमा पॉलिसियों एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा बचपन का नाम कु. निकिता सिंह परिहार (NIKITA SINGH PARIHAR) लिखा गया है जो कि गलत है. अतः मेरी बीमा पॉलिसियों एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम कु. निकिता सिंह परिहार (NIKITA SINGH PARIHAR) के स्थान पर अंकिता परिहार (ANKITA PARIHAR) पुत्री राकेश सिंह परिहार (RAKESH SINGH PARIHAR) का नाम लिखा जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :

(कु. निकिता सिंह परिहार)
(NIKITA SINGH PARIHAR)

नया नाम :

(अंकिता परिहार)
(ANKITA PARIHAR)
पता-सचिन तेन्दुलकर रोड अनुपम नगर,
थाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.).

(260-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है पूर्व में मेरा नाम अफरीन खान (AFRIN KHAN) पिता श्री हसन अली खान था, जो अब इनाया खान (INAAYA KHAN) पिता श्री हसन अली खान हो गया है. अतः अब से मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(अफरीन खान)
(AFRIN KHAN)

नया नाम :

(इनाया खान)
(INAAYA KHAN)
निवासी-अ-173, आम्रपाली टाउनशिप राऊ,
महू, जिला इन्दौर.

(259-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार श्रीमति पूनम सिंह पत्नि श्री राहुल सिंह, आयु 33 वर्ष, निवासी म. नं. 19-20 भवानी कैम्पस फेस-1 नरेला शंकरा, भोपाल मध्यप्रदेश, निवासी है. जिनका नाम शादी के पूर्व पूनम विश्वकर्मा पुत्री श्री ओमप्रकाश विश्वकर्मा था. जो अंकसूचियों में इस नाम से अंकित है एवं विवाह के पश्चात् नाम पूनम सिंह पत्नि श्री राहुल सिंह हो गया है और अब इसी नाम से जाना व पहचाना जावे. इस सूचना के बाद से मेरे पक्षकार श्रीमति पूनम सिंह पत्नि श्री राहुल सिंह के नाम से जाना जावें. यह कि भविष्य के संव्यवहार परिवर्तित नाम पर किये जावेंगे. यह कि नाम परिवर्तित हेतु सभी विधिक कार्यवाही कर ली गई है.

नितेश चंदेल,

(अधिवक्ता)

प्लॉट नं. 06, शॉप नं. 04 ग्राउंड फ्लोर,
अशोका विहार, भोपाल (म.प्र.).

(265-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मुझ शपथकर्ता का बोलचाल का नाम नरेश सिंह है जबकि मेरे समस्त दस्तावेजों जैसे पैनकार्ड, आधारकार्ड, वोटरकार्ड, राशनकार्ड, बैंक पासबुक आदि में नाम रामनरेश अंकित है। यह कि नरेश सिंह एवं रामनरेश उक्त दोनों ही नाम मुझ शपथकर्ता एक ही व्यक्ति के हैं। अतः भविष्य में मुझ शपथकर्ता को सभी सरकारी/गैर सरकारी दस्तावेजों में रामनरेश के नाम से ही जाना/पहचाना जावे।

पुराना नाम :
(नरेश सिंह)

(267-बी.)

नया नाम :
(रामनरेश)
पुत्र-श्री टुण्डेलाल,
निवासी-ग्राम छरेंटा, पोस्ट ऐना,
तहसील गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह से पूर्व मेरा नाम कु. नीतू शर्मा पुत्री सत्य नारायण शर्मा व माता का नाम साधना देवी शर्मा था। विवाह के उपरान्त मेरा नाम श्रीमती नीतू द्विवेदी पत्नी श्री संजय द्विवेदी हो गया है। मेरे नाम की सही स्पेलिंग NITU है। मेरे आधारकार्ड व दस्तावेजों में मेरा सही नाम NITU DWIVEDI अंकित है। विवाह के पूर्व के कुछ दस्तावेजों व अंकसूचियों में लिपिकीय त्रुटि के कारण त्रुटिवश मेरा नाम NEETU SHARMA D/O S.N. SHARMA अंकित हो गया है व माता का नाम भी गलत दर्ज हो गया है। विवाह के पूर्व के दस्तावेजों में मेरा सही नाम Ku. NITU SHARMA D/O SATYA NARAYAN SHARMA माँ का नाम SADHANA DEVI पढ़ा जावे। भविष्य में मेरे समस्त दस्तावेज व अंकसूचियों में मेरा सही नाम SMT. NITU DWIVEDI W/O SANJAY DWIVEDI (संजय द्विवेदी) पढ़ा व अंकित किया जावे। Ku. NITU SHARMA D/O SATYA NARAYAN SHARMA माँ का नाम SADHANA DEVI पढ़ा जावे। SMT. NITU DWIVEDI (नीतू द्विवेदी) W/O SANJAY DWIVEDI (संजय द्विवेदी) व Ku. NITU SHARMA D/O SATYA NARAYAN SHARMA माँ का नाम SADHANA DEVI एक ही व्यक्ति है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम से SMT. NITU DWIVEDI W/O SANJAY DWIVEDI के नाम से जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम :
(कु. नीतू शर्मा)
(KU. NITU SHARMA)

पिता-सत्यनारायण शर्मा,
D/o Satya Narayan Sharma,
माँ का नाम-साधना देवी (Sadhana Devi)
निवासी-इटावा (उ.प्र.).

(266-बी.)

नया नाम :
(नीतू द्विवेदी)
(NITU DWIVEDI)
पति-संजय द्विवेदी,
W/o Sanjay Dwivedi
निवासी-डी-11, जागृति नगर, लक्ष्मीगंज,
लशकर, ग्वालियर.

नाम परिवर्तन

मैं, कुलदीप कुशवाह पुत्र श्री कमलेश कुशवाह सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा बचपन का बोलता नाम दीपक कुशवाह पुत्र श्री कमलेश कुशवाह था। जो मेरे बीमा पॉलिसियों एवं अन्य प्रपत्रों में अंकित है और वर्तमान में मैं, कुलदीप कुशवाह पुत्र श्री कमलेश कुशवाह के नाम से ही जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ और कुलदीप कुशवाह के नाम से ही हस्ताक्षर करता हूँ। भूलवश (गलती) से मेरी बीमा पॉलिसियों एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा बचपन का नाम दीपक कुशवाह पुत्र श्री कमलेश कुशवाह लिखा गया है। जो कि गलत है। अतः मेरी बीमा पॉलिसियों एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम दीपक कुशवाह पुत्र श्री कमलेश कुशवाह के स्थान पर कुलदीप कुशवाह पुत्र श्री कमलेश कुशवाह लिखा एवं पढ़ा जाये। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

पुराना नाम :
(दीपक कुशवाह)

(269-बी.)

नया नाम :
(कुलदीप कुशवाह)
पता-वार्ड नं. 11, विवेक विहार कॉलोनी,
निपाद राज स्कूल के पास, डबरा,
ग्वालियर (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

I, have changed my name from Rejendra Kumar Vishwakarma (as per NOK in Record) to Rajendra Kumar Vishwakarma. My date of birth is 06-06-1978. My name for all future purpose in all occasion would be only as Rajendra Kumar Vishwakarma.

Old Name : **(REJENDRA KUMAR VISHWAKARMA)**
(271-B.)

New Name : **(RAJENDRA KUMAR VISHWAKARMA)**
R/o N-13, Hathi Tal Colony,
Jabalpur 482001.

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स श्री राजकमल इंटरप्राइजेज, पता-01, वराहा मिहिर मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन मध्यप्रदेश जिसका पंजीयन क्रमांक 07/33/01/00132/19, दिनांक 22-09-2019 है जिसमें आज दिनांक 15-05-2019 तक निम्नलिखित भागीदारगण फर्म का संचालन कर रहे थे. (1) श्री विजय चौरडिया आत्मज स्व. श्री राजकमल चौरडिया, (2) श्री मुकेश जैन आत्मज श्री बाबूलाल जैन, (3) नितेश चौरडिया आत्मज श्री धनराज चौरडिया, (4) श्री हर्ष चौरडिया आत्मज श्री धनराज चौरडिया, (5) श्री पियुष माहेश्वरी आत्मज श्री निरंजन माहेश्वरी, दिनांक 15-05-2019 को एक भागीदार श्री पियुष माहेश्वरी आत्मज श्री निरंजन माहेश्वरी, निवासी-एल. आई. जी. द्वितीय इंदिरा नगर, आगरा रोड, उज्जैन मध्यप्रदेश अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं. इस प्रकार आज दिनांक 15-05-2019 को निम्नलिखित भागीदार हैं (1) श्री विजय चौरडिया आत्मज स्व. श्री राजकमल चौरडिया, (2) श्री मुकेश जैन आत्मज श्री बाबूलाल जैन, (3) श्री नितेश चौरडिया आत्मज श्री धनराज चौरडिया, (4) भी हर्ष चौरडिया आत्मज श्री धनराज चौरडिया भागीदार फर्म मैसर्स श्री राजकमल इंटरप्राइजेज में उपरोक्त परिवर्तन सर्वजन एवं आमजन को सूचित हो.

श्री राजकमल इंटरप्राइजेज,
विजय चौरडिया,
(भागीदार)
उज्जैन (म.प्र.).

(249-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स ओम कंस्ट्रक्शन राम हाउस, घोघर, रीवा, पंजीयन क्रमांक 1018, दिनांक 25-09-1982 है. पंजीकृत फर्म के भागीदार श्री बिनोद कुमार वर्मा पिता श्री स्व. भवानीशंकर वर्मा उम्र 70 वर्ष, निवासी जिला रीवा मध्यप्रदेश की दिनांक 24-10-2018 को मृत्यु हो जाने के कारण फर्म की भागीदारी से दिनांक 25-10-2018 को नाम पृथक् हो गया है वर्तमान में फर्म में भागीदार श्री अशोक श्रीवास्तव पिता स्व. श्री बटुकशंकर श्रीवास्तव उम्र 66 वर्ष, निवासी राम हाउस, घोघर, रीवा तथा श्री शास्वत श्रीवास्तव पिता श्री अशोक श्रीवास्तव, निवासी राम हाउस, घोघर, रीवा उम्र 33 वर्ष ही शेष है.

ओम कंस्ट्रक्शन कंपनी ,
अशोक श्रीवास्तव,
(भागीदार)
पता-रीवा हाउस, घोघर, रीवा (म.प्र.).

(250-बी.)

जाहिर सूचना

यह है कि भागीदारी फर्म मै. श्री गणपति मिनरल्स, पता- खासगी बाजार, लश्कर, ग्वालियर मध्यप्रदेश है जिसका रजिस्ट्रेशन नं. 02/42/01/0323/18, दिनांक 06-03-2018 जिसमें भागीदार क्र. 01 श्री राजेन्द्र सिंह तोमर पुत्र श्री शिवचरन सिंह तोमर, निवासी ई-80, बलवंत नगर, गौधी रोड, ग्वालियर मध्यप्रदेश. भागीदार क्र. 02 श्रीमती बिन्दु गुप्ता पत्नी श्री सुधीर गुप्ता, निवासी खासगी बाजार, लश्कर ग्वालियर मध्यप्रदेश. भागीदार क्र. 03 श्रीमती सरिता गुप्ता पत्नी श्री दिलीप गुप्ता, निवासी गुप्ता भवन, खासगी बाजार, लश्कर, ग्वालियर मध्यप्रदेश, भागीदार क्र. 04 श्रीमती सुधा चौदहा पत्नी श्री अशोक चौदहा, निवासी तिलक स्कूल, घंटाघर रोड, मुरवारा, कटनी मध्यप्रदेश. भागीदार क्र. 05 श्री कपिल भल्ला पुत्र श्री मनोहर लाल भल्ला, निवासी फ्रूट मार्केट, छत्री बाजार, ग्वालियर मध्यप्रदेश है. यह कि दिनांक 30-05-2019 को भागीदार क्र. 04 श्रीमती सुधा चौदहा पत्नी श्री अशोक चौदहा, निवासी-तिलक स्कूल, घंटाघर रोड, मुरवारा, कटनी मध्यप्रदेश सेवानिवृत्त हुये एवं श्री राजीव सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह, निवासी ऋतुराज होटल के पीछे, पुरानी छावनी, ग्वालियर फर्म में दाखिल हुए. अतः वर्तमान भागीदार फर्म मै. श्री गणपति मिनरल्स, पता- खासगी बाजार, लश्कर, ग्वालियर मध्यप्रदेश जिसमें भागीदार क्र. 01 श्री राजेन्द्र सिंह तोमर पुत्र

श्री शिवचरन सिंह तोमर, निवासी-ई-80, बलवंत नगर, गाँधी रोड, ग्वालियर मध्यप्रदेश. भागीदार क्र. 02 श्रीमती बिन्दु गुप्ता पत्नी श्री सुधीर गुप्ता, निवासी-खासगी बाजार, लश्कर, ग्वालियर मध्यप्रदेश. भागीदार क्र. 03 श्रीमती सरिता गुप्ता पत्नी श्री दिलीप गुप्ता, निवासी- गुप्ता भवन, खासगी बाजार, लश्कर, ग्वालियर मध्यप्रदेश. भागीदार क्र. 04 श्री कपिल भल्ला पुत्र श्री मनोहर लाल भल्ला, निवासी-फ्रूट मार्केट, छत्री बाजार, ग्वालियर मध्यप्रदेश. भागीदार क्र. 05 श्री राजीव सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह, निवासी-ऋतुराज होटल के पीछे, पुरानी छावनी, ग्वालियर मध्यप्रदेश है. अतः किसी भी भागीदार व्यक्ति को कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति फर्म के रजिस्टर्ड पते पर दस दिन के अन्दर लिखित या मौखिक दर्ज करायें.

मैसर्स श्री गनपति मिनरल्स,

बिन्दु गुप्ता,

(भागीदार).

(251-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स गॉगिल सैल्स जिसका पंजीयन क्र. 00095/11, दिनांक 11-07-2011 है जो नया बाजार ग्वालियर में स्थित है जिसमें दिनांक 01-09-2015 को भागीदार श्री सतीश चाँदिल पुत्र श्री कैलाश नारायण चाँदिल, निवासी-निम्बालकर की गोठ, ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं. एवं दिनांक 01-03-2019 को भागीदार श्री महेन्द्र गुप्ता पुत्र श्री किरत राम गुप्ता का स्वर्गवास हो जाने से वह फर्म से पृथक् हो गये हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

मैसर्स गॉगिल सैल्स,

गौरव गुप्ता,

(भागीदार)

(252-बी.)

पता-नया बाजार, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that my Client "M/s. Folklore Designs" a partnership firm is changing its name to "Koozagari Studio". Registered Address of the firm is also being changed from "G-1 Divya Homes, C-4/30 Civil Lines, Shamla Hills, Bhopal-462002" to "Koozagari Studio Shamla Kothi Shamla Hills, Bhopal-462013". Erstwhile partner Ms. Sudha Rao W/o Late Mr. Ashok Rao R/o D-62 Aaram Colony, Vakola Santa Cruz (E) Mumbai has retired from the firm and Mrs. Sonia Rashid W/o Mr. Nadir Rashid R/o Shamla Kothi, Shamla Hills, Bhopal has been inducted as the new partner. The above mentioned changes are applicable from 1st August, 2017.

Kindly contact the, undersigned within 7 days from publication of this notice, in case of any queries/objections regarding the above.

ALANKAR SONI,

(Advocate)

(253-B.)

E-2/63, Arera Colony, Bhopal.

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स राम बाबू बंसल जिसका पंजीयन क्रमांक 3760, दिनांक 24-03-1958 का है जो कि पुराना इण्डस्ट्रीयल एरिया, बिरला नगर, ग्वालियर में स्थित है जिसमें दिनांक 25-03-2012 को श्री महेश चन्द्र बंसल पुत्र श्री रामबाबू बंसल, निवासी- पुराना इण्डस्ट्रीयल एरिया, बिरला नगर, ग्वालियर की मृत्यु हो जाने के कारण फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 25-03-2012 को श्री माधव बंसल पुत्र स्व. श्री महेश चन्द्र बंसल, निवासी- पुराना इण्डस्ट्रीयल एरिया, बिरला नगर ग्वालियर एवं श्री राघव बंसल पुत्र स्व. श्री महेश चन्द्र बंसल, निवासी- पुराना इण्डस्ट्रीयल एरिया, बिरला नगर, ग्वालियर फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं एवं दिनांक 10-02-2015 को श्री दिनेश चन्द्र बंसल पुत्र स्व. श्री राम बाबू बंसल निवासी- पुराना इण्डस्ट्रीयल एरिया, बिरला नगर, ग्वालियर की मृत्यु हो जाने के कारण फर्म से पृथक् हो गये हैं आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

मैसर्स राम बाबू बंसल,

माधव बंसल,

(भागीदार)

(261-बी.)

पता-पुराना इण्डस्ट्रीयल एरिया, बिरला नगर,
ग्वालियर (म.प्र.).

सार्वजनिक सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स अनमोल मिनरल्स का पंजीयन सहायक पंजीयक फर्म एवं सोसायटी सागर द्वारा 06/12/01/00009/10, सन् 2010-11, दिनांक 13-04-2010 से किया गया है। फर्म में अभी तक भागीदार 1. श्रीमती लक्ष्मी सिंह पत्नी श्री उदय सिंह, निवासी चन्दला रोड, लौडी, जिला-छतरपुर मध्यप्रदेश, 2. श्रीमती संगीता शर्मा पत्नी श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, निवासी-सीनियर एच. आई.जी. 15, छत्रसाल नगर, छतरपुर, जिला छतरपुर मध्यप्रदेश एवं 3. श्री अजय सिंह तनय श्री जयराम सिंह, निवासी-ग्राम/पोस्ट पहरा, जिला-महोबा उत्तरप्रदेश, 4. श्री नीरज कुमार पटेल आत्मज श्री एन.डी. पटेल, निवासी- महाराजा कालेज के सामने, कंचन भवन के पीछे, छतरपुर, जिला छतरपुर मध्यप्रदेश है। लेकिन श्रीमती लक्ष्मी सिंह, श्रीमती संगीता शर्मा एवं श्री अजय सिंह ने स्वेच्छा से अपने कार्यों की व्यस्तता के कारण फर्म से लेन-देन का पूरा हिसाब कर भागीदारी की शर्त क्रमांक 12 अनुसार विधिवत् नोटिस एवं फर्म की रचना में परिवर्तन के प्रारूप 5 में दिनांक 10-03-2013 को अपने हस्ताक्षर कर फर्म से भागीदार समाप्त कर ली है। और फर्म के नये भागीदार के तौर पर फर्म में श्री अनिल सिंह तनय श्री नवल किशोर सिंह उम्र 29 वर्ष, निवासी-पेटेक टाउन, नौगांव रोड, छतरपुर, जिला छतरपुर मध्यप्रदेश एवं श्री विजय कुडेरिया तनय श्री पूरन लाल शर्मा उम्र-24 वर्ष, निवासी-ग्राम/पोस्ट-घनगुवां, वार्ड नं. 04, तहसील- बडामलहरा, जिला-छतरपुर मध्यप्रदेश आज दिनांक 10-03-2013 से फर्म के नये भागीदार के तौर पर जुड़ रहे हैं। तथा फर्म के शेष भागीदार नीरज कुमार पटेल फर्म में यथावत् रहेंगे। अतः दिनांक 10-03-2013 तक किसी व्यक्ति या फर्म का मे. अनमोल मिनरल्स, महाराजा कालेज, कंचन भवन के पीछे, छतरपुर, जिला-छतरपुर मध्यप्रदेश के नाम से कोई लेन-देन बाकी हो, तो प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के भीतर दावा प्रस्तुत करें। इसके बाद किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं किया जाएगा।

द्वारा-मे. अनमोल मिनरल्स,

विजय कुमार कुडेरिया,

पता-महाराजा कालेज के सामने,

छतरपुर, जिला-छतरपुर (म.प्र.).

(262-बी.)

सार्वजनिक सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मे. तिरूपति स्टोन्स छतरपुर का पंजीयन सहायक पंजीयक फर्म एवं सोसायटी सागर द्वारा 06/12/01/0017/17, सन् 2017-18, दिनांक 17-04-2017 से किया गया है। फर्म में अभी तक भागीदार श्री 1. अमित कुमार मिश्रा आत्मज श्री शारदा प्रसाद मिश्रा, निवासी- रोडवेज के सामने, गाँधी नगर, महोबा, जिला-महोबा उत्तरप्रदेश, 2. श्रीमती सीमा गौतम पत्नी श्री वंशीधर गौतम निवासी- गाँधी आश्रम के पीछे, गली नं. 1, शांति नगर कालोनी, छतरपुर, जिला-छतरपुर मध्यप्रदेश, 3. विजय कुडेरिया आत्मज श्री पूरन लाल कुडेरिया, निवासी ग्राम व पोस्ट-धनगुवां, मकान नं. 314/1, तहसील-बडामलहरा, जिला-छतरपुर मध्यप्रदेश है। लेकिन श्री अमित कुमार मिश्रा ने स्वेच्छा से अपने कार्यों की व्यस्तता के कारण फर्म से लेन-देन का पूरा हिसाब कर भागीदारी की शर्त अनुसार विधिवत् नोटिस एवं फर्म की रचना में परिवर्तन के प्रारूप 5 में दिनांक 22-04-2018 को अपने हस्ताक्षर कर फर्म से भागीदार समाप्त कर ली है। अतः आज दिनांक 22-04-2018 तक किसी व्यक्ति या फर्म का मे. तिरूपति स्टोन्स, छतरपुर, जिला-छतरपुर मध्यप्रदेश के नाम से कोई लेन-देन बाकी हो तो 15 दिवस तक अपना दावा प्रस्तुत करें। इसके बाद किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं किया जाएगा।

द्वारा-मैसर्स तिरूपति स्टोन्स,

विजय कुडेरिया,

छतरपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.).

(263-बी.)

आम सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है कि आस्क डेवलपर्स पता-104, नवनीत प्लाजा, ओल्ड पलासिया इंदौर पंजीकृत भागीदारी फर्म जिसका पंजीयन क्र. 03/27/01/0080/15, दिनांकित 16-06-2015 है उक्त फर्म में दिनांक 18-10-2010 को भागीदार के रूप में कम्पनी मेसर्स मंगलमूर्ति इन्फ्रारियल प्रा. लि. पता-जी-1/24, कल्पना लोक कॉलोनी, इंदौर सम्मलित हुई, व दिनांक 02-04-2014 को उक्त कम्पनी मेसर्स मंगलमूर्ति इन्फ्रारियल प्रा. लि. पता-जी-1/24, कल्पना लोक कॉलोनी, इंदौर भागीदारी अधिनियम 1932 के प्रावधानों के अंतर्गत रिटायर हुई व दिनांक 10-01-2019 को फर्म में नवीन भागीदार के रूप में श्री हितेंद्र मेहता पिता स्व. श्री शांतिलाल मेहता पता-28, गुलमोहर कॉलोनी, इंदौर सम्मलित हुए व भागीदारी अधिनियम 1932 के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 31-05-2019 को श्रीमती सुरीलादेवी खत्री, पता-बी-503, शहनाई रेसीडेंसी, ए.बी. रोड, इंदौर फर्म से रिटायर हो गयी हैं। वर्तमान में उक्त फर्म में श्री हितेंद्र मेहता पिता स्व. श्री शांतिलाल मेहता, पता-28, गुलमोहर कॉलोनी, इंदौर व श्रीमती अर्चना मेहता पति श्री हितेंद्र मेहता पता-28, गुलमोहर कॉलोनी, इंदौर भागीदार हैं। सो सूचित हैं।

मैसर्स आस्क डेवलपर्स,

अर्चना मेहता,

हितेंद्र मेहता

(भागीदार)

पता-104, नवनीत प्लाजा, ओल्ड पलासिया,

इंदौर (म.प्र.).

(264-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स श्री गणेश स्टोन क्रेशर, 401-कुटुम्ब अपार्टमेन्ट, बलवन्त नगर, ठाटीपुर, ग्वालियर मध्यप्रदेश ने 03-04-2019 को अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर नवीन साझेदार के रूप में श्री महेन्द्र शर्मा पुत्र श्री राम अवतार शर्मा, निवासी-23-ए, न्यू सारिका नगर, दर्पण कॉलोनी, ठाटीपुर, ग्वालियर मध्यप्रदेश को सम्मिलित किया गया है। भविष्य में फर्म से सम्बन्धित सभी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक जिम्मेदार होंगे और वे फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदारों को स्वीकार है।

मैसर्स श्री गणेश स्टोन क्रेशर,

राम निवास शर्मा,

(भागीदार)

पता-401, कुटुम्ब अपार्टमेन्ट, बलवन्त नगर,
ठाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.).

(268-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स आर. एस. प्रोजेक्ट्स जो कि सी-11, द्वितीय तल प्लेटिनम प्लाजा, माता मंदिर भोपाल से संचालित हो कर कार्य कर रही थी अब से पता परिवर्तन होकर फर्म मेसर्स आर. एस. प्रोजेक्ट्स प्लॉट नं. जी-03, ऐलिकजर ग्रीन्स, ऐयरपोर्ट टू बीएमएचआरसी रोड, करोंद चौराहे के पास, भोपाल से संचालित होगी, अतः सर्व-साधारण को सूचित हो।

फर्म-मेसर्स आर. एस. प्रोजेक्ट्स,

1. सोनेश राजदेव,

आत्मज श्री व्ही. एस. राजदेव,

2. राकेश सिंह कुशवाह,

आत्मज श्री राजेन्द्र सिंह कुशवाह

(भागीदार).

(270-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, क्षेत्र मनावर, जिला धार

मनावर, दिनांक 31 मई, 2019

फार्म-4

[नियम 5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

आवेदक काजी डॉ. जमील उल्लाह सिद्धीकी पिता काजी फजलुल्ला, निवासी मनावर, तहसील मनावर, जिला-धार मध्यप्रदेश द्वारा एहले ईस्लाम ट्रस्ट, मनावर, जिला-धार मध्यप्रदेश का मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत लोक न्यास के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है। जिसकी सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 28 जून, 2019 को प्रातः 11.00 बजे की जावेगी।

उक्त पंजीयन के सम्बंध में यदि किसी को, किसी प्रकार की आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहते हैं। वह मेरे समक्ष उपर्युक्त तारीख पर या व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। उपर्युक्त नियत अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम	:	एहले ईस्लाम ट्रस्ट, मनावर, जिला-धार मध्यप्रदेश.
चल सम्पत्ति	:	रु. 25,000/- ICICI बैंक, शाखा मनावर में जमा.
अचल सम्पत्ति	:	कस्बा मनावर, तहसील मनावर, जिला-धार में भूमि सर्वे क्रमांक 298/1/1/क, 298/3/1, 298/3/1/2/1 कुल रकबा 0.221 हे. स्थित है.

सत्यनारायण दर्शो,

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(374)

कार्यालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) घट्टिया, जिला उज्जैन

प्र.क्र.001/बी-113/2018-19.

प्रारूप-4

[देखे नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5(1) देखिये]

लोक न्यासों के पंजीयक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग घट्टिया, जिला उज्जैन के समक्ष.

यतः कि श्री आंजना समाज न्यास, मारुतिधाम सारी-बारी सोंडग, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है. एतद् द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर 19 जून, 2019 को प्रातः 11: 00 बजे मेरे न्यायालय में विचार में लिखा जाएगा.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) घट्टिया, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 15 मार्च, 2019 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है. और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची**(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)**

न्यास का नाम	:	श्री आंजना समाज न्यास, मारुतिधाम सारी-बारी सोंडग, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन.
कार्यालय का नाम	:	श्री आंजना समाज न्यास, मारुतिधाम सारी-बारी सोंडग, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन.
चल /अचल सम्पत्ति	:	1. लीलाबाई पिता सिद्धाजी जाति आंजना आयु 55 वर्ष, निवासी ग्राम गोयलाबुजुर्ग, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन से रजिस्टर्ड-पत्र के माध्यम से दान में प्राप्त कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 138 रकबा 0.54 हे. एवं सर्वे क्रमांक 152 रकबा 0.16 हे. कुल किता 02 कुल रकबा 0.70 हे. भूमि स्थित ग्राम सोडंग पटवारी हल्का क्रमांक 32, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन. 2. रू. 1,00,000/- (अक्षरी रु.4 एक लाख मात्र).

पुरुषोत्तम कुमार,
अनुविभागीय अधिकारी.

(366)

अन्य सूचनाएं**कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उपनियम 57(1) (सी/ग)के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/क्यू-1. कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला धार के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाई जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक का आदेश क्र. व दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुसावदा	1051/26-4-2000	424/09-03-2016

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम 1960 के उपनियम 57(1)(सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा। तदनुसार समिति की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 01 मई, 2019 को मेरे द्वारा जारी किया गया है।

आर. सी. मालवीय,

(369)

परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 22 मार्च, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/264.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार चर्मकार सहकारी संस्था मर्या., रंगियापुरा, जिला विदिशा का निर्वाचन 14 फरवरी, 2018 को ड्यू हो गया है। आज दिनांक तक संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिस कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये चर्मकार सहकारी संस्था मर्या., रंगियापुरा, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन “कारण बताओ सूचना-पत्र” क्रमांक/परिसमापन/2019/126, विदिशा, दिनांक 06 फरवरी, 2019 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कोई उत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त कारण से चर्मकार सहकारी संस्था मर्या., रंगियापुरा, जिला विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा चर्मकार सहकारी संस्था मर्या., रंगियापुरा, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक ए.आर/व्ही.डी.एस./107, दिनांक 26 अगस्त, 1963 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री सुनील अग्रवाल, उप अंकेक्षक को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 22 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(375)

विदिशा, दिनांक 22 मार्च, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/265.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार विवेकानंद गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा का निर्वाचन 14 फरवरी, 2018 को ड्यू हो गया है। आज दिनांक तक संस्था द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिस कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये विवेकानंद गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन “कारण बताओ सूचना-पत्र” क्रमांक/परिसमापन/2019/127, विदिशा, दिनांक 06 फरवरी, 2019 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कोई उत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त कारण से विवेकानंद गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा विवेकानंद गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्या., विदिशा पंजीयन क्रमांक ए.आर/व्ही.डी.एस./344, दिनांक 03 जनवरी, 1989 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री सुनील अग्रवाल, उप अंकेक्षक को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 22 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(376)

विदिशा, दिनांक 22 मार्च, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/266.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार बहु, सविदा शिक्षक साख सहकारी संस्था मर्या., बासौदा का मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 में संपरिवर्तन दिनांक 31 जनवरी, 2017 के पश्चात् आज दिनांक तक निर्वाचन प्रस्ताव अप्राप्त है एवं वर्ष 2016-17 में अकार्यशील रही है। जिस कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये बहु, सविदा शिक्षक साख सहकारी संस्था मर्या., बासौदा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन “कारण बताओ सूचना-पत्र” क्रमांक/परिसमापन/2019/128, विदिशा, दिनांक 06 फरवरी, 2019 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कोई उत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त कारण से बहु, सविदा शिक्षक साख सहकारी संस्था मर्या., बासौदा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा बहु, सविदा शिक्षक साख सहकारी संस्था मर्या., बासौदा पंजीयन क्रमांक ए.आर/व्ही.डी.एस./1076, दिनांक 31 जनवरी, 2017 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री मनीष खरे, सहकारी निरीक्षक को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 22 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(377)

विदिशा, दिनांक 22 मार्च, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/274.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार जाट समाज सेवा एवं साख सहकारी संस्था मर्या., बासौदा का मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 में संपरिवर्तन दिनांक 31 जनवरी, 2017 के पश्चात् आज दिनांक तक निर्वाचन प्रस्ताव अप्राप्त है एवं वर्ष 2016-17 में अकार्यशील रही है। जिस कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये जाट समाज सेवा एवं साख सहकारी संस्था मर्या., बासौदा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन “कारण बताओ सूचना-पत्र” क्रमांक/परिसमापन/2019/128, विदिशा, दिनांक 06 फरवरी, 2019 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कोई उत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त कारण से जाट समाज सेवा एवं साख सहकारी संस्था मर्या., बासौदा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा जाट समाज सेवा एवं साख सहकारी संस्था मर्या., बासौदा पंजीयन क्रमांक ए.आर/व्ही.डी.एस./1049, दिनांक 27 जनवरी, 2017 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री मनीष खरे, सहकारी निरीक्षक को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 22 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(378)

विदिशा, दिनांक 22 मार्च, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/275.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार अग्र महिला बहु. साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा का मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 में संपरिवर्तन दिनांक 31 जनवरी, 2017 के पश्चात् आज दिनांक तक निर्वाचन प्रस्ताव अप्राप्त है एवं वर्ष 2016-17 में अकार्यशील रही है। जिस कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये अग्र महिला बहु. साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन “कारण बताओ सूचना-पत्र” क्रमांक/परिसमापन/2019/130, विदिशा, दिनांक 06 फरवरी, 2019 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा कोई उत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त कारण से अग्र महिला बहु. साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा अग्र महिला बहु. साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा पंजीयन क्रमांक डी.आर/व्ही.डी.एस./1073, दिनांक 31 जनवरी, 2017 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री सुनील अग्रवाल, उप अंकेक्षक को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 22 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(379)

विदिशा, दिनांक 22 मार्च, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/276.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार सहयोग साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा का मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 में संपरिवर्तन दिनांक 31 मार्च, 2015 से आज दिनांक तक निर्वाचन प्रस्ताव अप्राप्त है। जिस कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये सहयोग साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन “कारण बताओ सूचना-पत्र” क्रमांक/परिसमापन/2019/131, विदिशा, दिनांक 06 फरवरी, 2019 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा अपना उत्तर/पक्ष संतोषजनक प्रस्तुत नहीं किया है। उपरोक्त कारण से सहयोग साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा सहयोग साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा पंजीयन क्रमांक डी.आर/व्ही.डी.एस./1005, दिनांक 31 मार्च, 2015 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री सुनील अग्रवाल, उप-अंकक्षक को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 22 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(380)

विदिशा, दिनांक 22 मार्च, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/277.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बेहलोट जिला विदिशा का पंजीयन दिनांक 08 जून, 2016 से आज तक संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिस कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बेहलोट को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन “कारण बताओ सूचना-पत्र” क्रमांक/परिसमापन/2019/132, विदिशा, दिनांक 06 फरवरी, 2019 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा अपना उत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं किया है. उपरोक्त कारण से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बेहलोट को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बेहलोट जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक डी.आर/व्ही.डी.एस./1043, दिनांक 08 जून, 2016 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री मनीष खरे, सहकारी निरीक्षक को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 22 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(381)

विदिशा, दिनांक 22 मार्च, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/278.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., नहारिया, जिला विदिशा का पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक निर्वाचन प्रस्ताव अप्राप्त है एवं संस्था अकार्यशील है. जिस कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., नहारिया को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन “कारण बताओ सूचना-पत्र” क्रमांक/परिसमापन/2019/133, विदिशा, दिनांक 06 फरवरी, 2019 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा अपना उत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं किया है. उपरोक्त कारण से महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., नहारिया को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., नहारिया पंजीयन क्रमांक डी.आर/व्ही.डी.एस./646, दिनांक 18 नवम्बर, 2002 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री मनीष खरे, सहकारी निरीक्षक को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 22 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(382)

विदिशा, दिनांक 22 मार्च, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/279.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार क्षेत्रीय महिला स्व-सहायता समूह विकास सहकारी संस्था मर्या., सिरोंज, जिला विदिशा का पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक निर्वाचन प्रस्ताव अप्राप्त है एवं संस्था अकार्यशील है. जिस कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये क्षेत्रीय महिला स्व-सहायता समूह विकास सहकारी संस्था मर्या., सिरोंज को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन “कारण बताओ सूचना-पत्र” क्रमांक/परिसमापन/2019/134, विदिशा, दिनांक 06 फरवरी, 2019 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा अपना उत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं किया है. उपरोक्त कारण से क्षेत्रीय महिला स्व-सहायता समूह विकास सहकारी संस्था मर्या., सिरोंज को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा क्षेत्रीय महिला स्व-सहायता समूह विकास सहकारी संस्था मर्या., सिरोंज पंजीयन क्रमांक डी.आर/व्ही.डी.एस./768, दिनांक 29 नवम्बर, 2010 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री योगेन्द्र सोनी, सहकारी निरीक्षक को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 22 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(383)

विदिशा, दिनांक 22 मार्च, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/280.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार लक्ष्मी क्षेत्रीय स्व-सहायता समूह विकास सहकारी संस्था मर्या., गंजबासौदा, जिला विदिशा का पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक निर्वाचन प्रस्ताव अप्राप्त है एवं संस्था अकार्यशील है. जिस कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये लक्ष्मी क्षेत्रीय स्व-सहायता समूह विकास सहकारी संस्था मर्या., गंजबासौदा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन “कारण बताओ सूचना-पत्र” क्रमांक/परिसमापन/2019/135, विदिशा, दिनांक 06 फरवरी, 2019 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा अपना उत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं किया है. उपरोक्त कारण से लक्ष्मी क्षेत्रीय स्व-सहायता समूह विकास सहकारी संस्था मर्या., गंजबासौदा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा लक्ष्मी क्षेत्रीय स्व-सहायता समूह विकास सहकारी संस्था मर्या., गंजबासौदा पंजीयन क्रमांक डी.आर/व्ही.डी.एस./765, दिनांक 21 अक्टूबर, 2010 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री मनीष खरे, सहकारी निरीक्षक को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 22 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(384)

विदिशा, दिनांक 22 मार्च, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/281.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार मित्र साख सहकारी संस्था मर्या., बासौदा, जिला विदिशा का पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक निर्वाचन प्रस्ताव अप्राप्त है एवं संस्था अकार्यशील है. जिस कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये मित्र साख सहकारी संस्था मर्या., बासौदा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन “कारण बताओ सूचना-पत्र” क्रमांक/परिसमापन/2019/136, विदिशा, दिनांक 06 फरवरी, 2019 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा अपना उत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं किया है. उपरोक्त कारण से मित्र साख सहकारी संस्था मर्या., बासौदा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मित्र साख सहकारी संस्था मर्या., बासौदा पंजीयन क्रमांक डी.आर/व्ही.डी.एस./1024, दिनांक 24 सितम्बर, 2015 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री मनीष खरे, सहकारी निरीक्षक को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 22 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(385)

विदिशा, दिनांक 22 मार्च, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/282.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार संचय समाधान साख सहकारी संस्था मर्या., बासौदा, जिला विदिशा का मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 में संपरिवर्तन दिनांक 30 जनवरी, 2017 से आज दिनांक तक निर्वाचन प्रस्ताव अप्राप्त है. जिस कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये संचय समाधान साख सहकारी संस्था मर्या., बासौदा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन “कारण बताओ सूचना-पत्र” क्रमांक/परिसमापन/2019/137, विदिशा, दिनांक 06 फरवरी, 2019 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा अपना उत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं किया है. उपरोक्त कारण से संचय समाधान साख सहकारी संस्था मर्या., बासौदा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा संचय समाधान साख सहकारी संस्था मर्या., बासौदा पंजीयन क्रमांक डी.आर/व्ही.डी.एस./1060, दिनांक 30 जनवरी, 2017 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री मनीष खरे, सहकारी निरीक्षक को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 22 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(386)

विदिशा, दिनांक 22 मार्च, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/283.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार अम्बे बहु. साख सहकारी संस्था मर्या., गंजबासौदा, जिला विदिशा का मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 में संपरिवर्तन दिनांक 27 जनवरी, 2017 से आज दिनांक तक निर्वाचन प्रस्ताव अप्राप्त है. जिस कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये अम्बे बहु. साख सहकारी संस्था मर्या., गंजबासौदा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन “कारण बताओ सूचना-पत्र” क्रमांक/परिसमापन/2019/138, विदिशा, दिनांक 06 फरवरी, 2019 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा अपना उत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं किया है. उपरोक्त कारण से अम्बे बहु. साख सहकारी संस्था मर्या., गंजबासौदा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा अम्बे बहु. साख सहकारी संस्था मर्या., गंजबासौदा पंजीयन क्रमांक डी.आर/व्ही.डी.एस./1053, दिनांक 27 जनवरी, 2017 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री मनीष खरे, सहकारी निरीक्षक को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 22 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(387)

ए. के. सिंह,
उप-पंजीयक.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 जून 2019-ज्येष्ठ 31, शके 1941

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 16 जनवरी, 2019

1. **मौसम एवं वर्षा.**—प्रायः राज्य में मौसम शुष्क रहा है.
2. **जुताई** :- जिला मुरैना, भिण्ड, पन्ना, रीवा, अनूपपुर, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, डिण्डौरी, व बालाघाट में जुताई कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.
3. **बोनी**:- जिला मुरैना, भिण्ड, पन्ना, रीवा, अनूपपुर, देवास, धार, बड़वानी, बुरहानपुर, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, डिण्डौरी, छिन्दवाड़ा व सिवनी में बोनी कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.
4. **फसल स्थिति** :-राज्य के जिला शहडोल व सिंगरोली में फसल तुअर पर पाला का प्रभाव होना प्रतिवेदित किया गया है.
5. **कटाई** :- जिला गुना में सरसों, आगर मालवा में गेहूं व चना सिवनी में तूअर तथा शहडोल में कटाई कार्य चालू होना प्रतिवेदित किया गया है.
6. **सिंचाई** :-जिला सागर, रीवा, शहडोल, नीमच, उमरिया, सिंगरोली, शाजापुर, विदिशा, सीहोर, बड़वानी, भोपाल, बैतूल में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में तथा शेष जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.
7. **पशुओं की स्थिति**:-राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में पशुओं की स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.
8. **चारा** :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.
9. **बीज**:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
10. **खेतिहर श्रमिक** :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में खेतिहर श्रमिक उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 16 जनवरी, 2019

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है. बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	. .				
2. पोरसा	. .				
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. कैलारस	. .				
6. सबलगढ़	. .				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) तूअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, मटर, मसूर, सोंहा समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .				
2. कराहल	. .				
3. विजयपुर	. .				
4. वीरपुर	. .				
5. बडोदा	. .				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) सरसों, गेहूँ, चना समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर	. .				
2. भिण्ड	. .				
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. रौन+मिहोना	. .				
7. गोरमी	. .				
8. मौ	. .				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, सरसों समान. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	. .				
2. डबरा	. .				
3. भितरवार	. .				
4. चीनोर	. .				
5. घाटीगांव	. .				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गन्ना, गेहूँ अधिक. सरसों समान. चना, मटर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा	. .				
2. दतिया	. .				
3. इन्दरगढ़	. .				
4. बढौनी	. .				
5. भाण्डेर	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..		4. (1) गेहूँ, चना, सरसों.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. करैरा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बैराढ़	..				
9. बदरवास	..				
7. *जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. मुँगावली	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ईसागढ़	..		(2) ..		
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. नई सराय	..				
6. पिपरई	..				
7. शाढौरा	..				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. सरसों कटाई चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	..		4. (1) गेहूँ, चना, सरसों, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	..		धनियां बीज समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.		
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. मकसूदनगढ़	..				
7. कुम्भराज	..				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..		4. (1) तूअर, गन्ना, मसूर कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		गेहूँ, चना, मटर, राई-सरसों	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	..		अधिक.		
4. टीकमगढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. खरगापुर	..				
8. मोहनगढ़	..				
9. लिधौरा	..				
10. ओरछा	..				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	..		4. (1) गेहूँ, जौ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ा मलहरा	..				
8. लवकुशनगर	..				
9. बक्सवाहा	..				
10. महाराजपुर	..				
11. चंदला	..				
12. धुवारा	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
6. देवेन्द्रनगर	..				
7. अमानगंज	..				
8. सिमरिया	..				
9. रैपुरा	..				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	..		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मसूर, मटर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	..		तेबडा, राई-सरसों, अलसी,	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	..		गन्ना कम. आलू-प्याज		
4. सागर	..		अधिक.		
5. रेहली	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.		
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				
13. *जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. हटा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. बटियागढ़	..		(2) ..		
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
14. *जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. रघुराजनगर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. मझगवां	..		(2) ..		
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. कोठर	..				
10. बिरसिंहपुर	..				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्योंथर	..		4. (1) मसूर अधिक. गेहूँ, चना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	..		अलसी, ज्वार, तुअर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	..		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
4. हनुमना	..				
5. हुजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. मनगवां	..				
8. सेमरिया	..				
9. जवा	..				
10. नईगढ़ी	..				
11. रायपुरकूर्चिलियान	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. तुअर व चना कटाई चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..	तूअर व साग-सब्जी में	4. (1) तुअर, राई, चना, गेहूँ, मसूर, मटर, अलसी अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	..	पाला का प्रभाव है.	(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.		
3. जयसिंहनगर	..				
4. बुढ़ार	..				
5. गोहपारू	..				
6. जैतपुर	..				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..		4. (1) राई-सरसों, गेहूँ, मटर, अधिक. अलसी, मसूर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	..		(2) अलसी समान. शेष फसलें सुधरी हुई हैं.		
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	..				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	..		(2) . .		
3. चंदिया	..				
4. नौरोजाबाद	..				
5. मानपुर	..				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	..		4. (1) अलसी, चना, मसूर, जौ, राई-सरसों, गेहूँ समान हैं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	..		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. मझौली	..				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	..				
6. बहरी	..				
7. रामपुरनैकिन	..				
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. तुअर पर पाला का प्रभाव है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..		4. (1) तुअर, चना, जौ अधिक. रामतिल, गेहूँ, राई-सरसों, अलसी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	..		(2) रामतिल बिगड़ी. शेष फसलें समान.		
3. सरई	..				
4. माडा	..				
5. सिंगरौली	..				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा	..		4. (1) गेहूँ, चना अधिक. राई-सरसों कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.		
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मंदसौर	..				
6. श्यामगढ़	..				
7. सीतामऊ	..				
8. दलोदा	..				
9. धुंधडक्का	..				
10. संजीत	..				
11. कयामपुर	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22. *जिला नीमच :	मिलीमीटर	2 ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जावद	..		4.(1) ..	6. ..	8. ..
2. नीमच	..		(2) ..		
3. सिंगौली	..				
4. जीरन	..				
5. रामपुर	..				
6. मनासा	..				
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2 ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	..		4. (1) गेहूँ, चना, रावा कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आलोट	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं	चारा पर्याप्त.	
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. ताल	..				
6. रावटी	..				
7. पिपलोदा	..				
8. रतलाम	..				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2 ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..		4. (1) चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	..		गेहूँ, मसूर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	..		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना की कटाई चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़ौद	..		4. (1) गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2 ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मोमनबड़ौदिया	..		4. (1) चना अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	..				
4. कालापीपल	..				
5. पोलाय कलां	..				
6. अबंतीपुर बड़ौदिया	..				
7. गुलाना	..				
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2 ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..		4. (1) रबी, उड़द, मसूर, मटर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..		राई-सरसों कम. गेहूँ, रबी	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	..		मूँग, चना अधिक.		
4. बागली	..		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
5. कन्नोद	..				
6. हाटपिपल्या	..				
7. सतवास	..				
8. उदयनगर	..				
9. खातेगांव	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. .		4. (1) तुअर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	. .				
4. सोंडवा	. .				
5. उदयगढ़	. .				
6. चन्द्रशेखर आ. नगर	. .				
7. भामरा	. .				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	. .		4. (1) कपास, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. गौतमपुरा	. .				
5. हातोद	. .				
6. महू	. .				
(डॉ. अम्बेडकर नगर)					
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) कपास, तूअर, गेहूँ अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		चना, राई-सरसों कम.	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
4. खरगौन	. .				
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. सनावद	. .				
10. झिरन्या	. .				
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. राजकोट	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. अंजड	. .				
8. बरला	. .				
9. निवाली	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) गेहूँ कम. चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पुनासा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. खालवा	. .				
4. पंधाना	. .				
5. हरसूद	. .				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) कपास, गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. राजगढ़	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जीरापुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. खिलचीपुर	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	. .		4. (1) गेहूँ, चना.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) चना समान है. गेहूँ सुधरी	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .		हुई है.		
4. बासोदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	. .				
8. शमसाबाद	. .				
9. त्योंदा	. .				
10. पठारी	. .				
11. ग्यारसपुर	. .				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) गेहूँ, मसूर कम. चना	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हजूर	. .		समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बैरागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	. .		4. (1) चना, मसूर, राई-सरसों अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		तूअर समान. गन्ना, गेहूँ,	चारा पर्याप्त.	
3. इच्छावर	. .		अलसी, मटर, जौ कम.		
4. नसरुल्लागंज	. .		तूअर समान.		
5. रेहटी	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.		
6. श्यामपुर	. .				
7. जावर	. .				
8. बुधनी	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) तूअर, गन्ना, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, लाख, राई-सरसों, अलसी अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		(2) तूअर बिगड़ी हुई है.		
3. बेगमगंज	. .				
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. सुल्तानपुर	. .				
9. उदयपुरा	. .				
41. *जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बैतूल	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. भैंसदेही	. .		(2) . .		
3. घोड़ाडोंगरी	. .				
4. शाहपुर	. .				
5. चिचोली	. .				
6. मुल्ताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. होशंगाबाद	. .		4. (1) गेहूँ कम. चना, मसूर, राई-सरसों, मटर, गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिवनी-मालवा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. बावई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. बनखेड़ी	. .				
8. डोलरिया	. .				
9. पचमढ़ी	. .				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .		
3. सिराली	. .				
4. रेहटगांव	. .				
5. हंडिया	. .				
6. टिमरनी	. .				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जबलपुर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. कुण्डम	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.		
3. सीहोरा	. .				
4. पाटन	. .				
5. मझौली	. .				
6. शाहपुरा	. .				
7. पनागर	. .				
45. *जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बहोरीबंद	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ढीमरखेड़ा	. .		(2) . .		
3. रीठी	. .				
4. बड़वारा	. .				
5. मुड़वारा (कटनी)	. .				
6. विजयराघवगढ़	. .				
7. बरही	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर : 1. नरसिंहपुर 2. गोटेगांव 3. करेली 4. गाडरवारा 5. तेंदूखेड़ा	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. .. 4. (1) तूअर, गन्ना, चना, मसूर, मटर अधिक. गेहूँ कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
47. जिला मण्डला : 1. मण्डला 2. नैनपुर 3. बिछिया 4. निवास 5. नारायणगंज 6. घुघरी	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
48. जिला डिण्डोरी : 1. डिण्डोरी 2. शाहपुरा 3. बजाग	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. .. 4. (1) तूअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, अलसी, लाख समान. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
49. जिला छिन्दवाड़ा : 1. छिन्दवाड़ा 2. तामिया 3. परासिया 4. जामई 5. सोंसर 6. बिछुआ 7. अमरवाड़ा 8. चौरई 9. उमरठ 10. मोहखेड 11. हरई 12. चांद 13. पांडुर्णा	मिलीमीटर	2. बोनी कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
50. जिला सिवनी : 1. सिवनी 2. बरघाट 3. कुरई 4. केवलारी 5. लखनादोन 6. छपारा 7. धनोरा 8. घंसोर	मिलीमीटर	2. बोनी चालू है. तूअर कटाई चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
51. जिला बालाघाट : 1. बालाघाट 2. लाँजी 3. किरनापुर 4. बैहर 5. वारासिवनी 6. कटंगी 7. लालबर्ग 8. तिरोडी 9. परसवाड़ा 10. बिरसा 11. खैरलाँजी	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ समान. (2) गेहूँ समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

*जिला:- जिला अशोकनगर, दमोह, सतना, नीमच, बैतूल व कटनी से पत्रक अप्राप्त हैं.

आर. पी. भारती,
संयुक्त आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(373)